संख्या 1792/1-11-2009-28(जी)/2009

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, फैजाबाद, मेरठ, महोबा, अलीगढ़, ज्योतिबाफुलेनगर, बलरामपुर, एटा, रामपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बांदा, मथुरा, इलाहाबाद, औरैया, जालौन, कानपुर नगर, वाराणसी, चंदौली, मुरादाबाद, आज़मगढ़, सिद्धार्थनगर, बदायूँ, सीतापुर एवं फिरोजाबाद ।

राजस्व अनुभाग -11 लखनऊ दिनांकः 26 जुलाई, 2009

विषय :: वर्ष 2009 में अवर्षण के कारण जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान मानसून अवधि में सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 40 प्रतिशत वर्षा होने के कारण एवं खरीफ की फसल की बोवाई लक्ष्य के सापेक्ष 75 प्रतिशत से कम होने की आपसे प्राप्त सूचना/आख्या के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 13 जनपद यथा- आगरा, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, फैजाबाद, मेरठ, महोबा, अलीगढ़, ज्योतिबाफुलेनगर, बलरामपुर, एटा, रामपुर, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर तथा वर्तमान मानसून अवधि में सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 40 से 60 प्रतिशत वर्षा होने के कारण एवं खरीफ की फसल की बोवाई लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम होने की सूचना के आधार पर 14 जनपद यथा- बांदा, मथुरा, इलाहाबाद, औरैया, जालौन, कानपुर नगर, वाराणसी, चंदौली, मुरादाबाद, आज़मगढ़, सिद्धार्थनगर, बदायूँ, सीतापुर एवं फिरोजाबाद अर्थात कुल 27 जनपदों को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी रबी की फसल आने तक (दिनांक 31 मार्च, 2010) कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयो (भू-राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली का स्थगन दिनांक 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयो की वसूली हेतु कृषकों के विरूद्ध कोई उत्पीडनात्मक कार्यवाही नही की जायेगी।

3- उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझते हैं तो शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु निम्नांकित कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगीः-